

सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005 जनपद कासगंज।

सूचना का अधिकार आधिनियम-2005 की धारा-4(1)बी० के अनुसार जनपद कासगंज में पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है।

1-पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्रधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिकृत या नियन्त्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था को स्थापित करना तथा अपराध नियन्त्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों सदभाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यषिताओं व सरथानों की सुरक्षा की करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना।

जनपद पुलिस पुलिस अधीक्षक के नियन्त्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। जनपद में केवल 01 अपर पुलिस अधीक्षक, 03 पुलिस उपाधीक्षक व 11 प्रभारी नियोक्ता/थानाध्यक्षों के पद सूजित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में समस्त क्षेत्राधिकारी कार्य करते हैं। वर्तमान में 03 पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त हैं।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन-निम्न प्रकार से हैं—

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी नगर	1.कोतवाली कासगंज
		2.कोतवाली सोरो
		3.थाना ढोलना
		4.महिला थाना
	क्षेत्राधिकारी पटियाली	5.कोतवाली पटियाली
		6.थाना गंजडुण्डवारा
		7.थाना सिढपुरा
		8.सिकन्दर पुर वैश्य
	क्षेत्राधिकारी सहावर	9.थाना सहावर
		10.थाना अमौंपुर
		11.थाना सुन्नगढ़ी
	क्षेत्राधिकारी नगर	12.पुलिस कार्यालय/यातायात

1.2 जनपद में स्थित विभिन्न कार्यों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी

क्र०स०	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक अधिकारी	पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक
1.	वायरलेस शाखा	रेडियो अधिकारी	पुलिस अधीक्षक
2.	स्थानीय अभिसूचना ईकाई	निरी०एल०आई०य००	पुलिस अधीक्षक
3.	फायर सर्विस	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक
4.	यूपी-112	अपर पुलिस अधीक्षक	अपर पुलिस अधीक्षक
5.	जिला नियन्त्रण	क्षेत्राधिकारी नगर	अपर पुलिस अधीक्षक
6.	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी नगर	अपर पुलिस अधीक्षक
7.	वी०आई०पी०	क्षेत्राधिकारी नगर	अपर पुलिस अधीक्षक
8.	पुलिस लाइन्स	क्षेत्राधिकारी पटियाली	पुलिस अधीक्षक
9.	भवन	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
10.	पत्र व्यवहार शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक

11	आंकिक शाखा	क्षेत्राधिकारी आंकिक	पुलिस अधीक्षक
12	विशेष जांच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
13	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
13	डी०सी०आर०बी०	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक
15	न्यायालय प्रकरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक
16	सम्मन सेल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक
17	कम्प्यूटर सेल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	अपर पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यालङ्घ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करने एवं लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करने एवं अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :—

2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यालङ्घ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नानारूप वज्रों व जलजले का कर्तव्य।

34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से गारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी च कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले
34 क	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शवित राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

2.2 पुलिस रेग्लेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आवकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक सागारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यवितरण मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यवितरण रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	रिजर्व सब इन्स्पेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अन्वेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मारिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता

43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की रीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की राष्ट्रीय शाखाओं, पर प्राधिकार रखता है। वह राष्ट्रीय रेजिस्टरों, अग्निलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनरस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के राष्ट्रीय साधारण व्यवितरणों से सुपरिचित एवं उनके प्रति गैत्रीपूर्ण राष्ट्रीयों सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर सुरे व्यवितरणों की निगरानी रामुखित तौरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपरिथत ढोने पर रीगियर कार्डेविल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह राफ्टीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नं 299 गरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51 द्वितीय अधिकारी	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन प्रेरणा करना, गारसाधक अधिकारी द्वारा राहीं पे गये समस्त निर्देशों को अधीनरस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।
55 हेड गोडरिंग	हेड गोडरिंग के कर्तव्य a. रोजनामचा आग प्रपत्र सं 217 और अपराधों की प्रथग सूचना लिखना। b. दिन्दी रोकड़ वही (पुलिस फार्म नं 224) c. यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 बीट आरक्षी	कान्स० नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नग्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथान करना है। थाने पर सन्तरी छ्यूटी के समय वह अग्रिमाधीन कैदियों, कोष तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स० के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानावदोश अपराधियों की सूचना प्रंगारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 सशस्त्र पुलिस	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध मण्डार, अपराध दग्न तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सर्वों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गोर्बों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द.प्र.स. की धारा	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	विना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियों:- 1. संझेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3. उद्घोषित अपराधी 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा।

	8. छोड़ गये सिद्धांष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. चांचित अपराधी।
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस रथान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवृद्ध नहीं किया जायेगा जितना कि उसके निकल मागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट गिरफ्तारारेयों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से मागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर वितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर वितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर वितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की स्थिति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट गार्पों का निरीक्षण/ अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों का निरीक्षण/ अधिग्रहण।

160	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफ्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विवारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वासा की जायेगी।

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ढी०के० बसु बनाम परिचम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अंवधारित किये गये हैं।

10. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
11. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के भौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के समान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होंगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
12. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या भिन्न से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
13. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
14. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
15. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
16. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
17. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
18. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
19. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
20. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नॉटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी:-

2. संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रोल्ड होल्डअप, बैंक डॉकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को निहित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
3. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
4. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
5. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-ताछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी :-

1. सक्रिय एवं वांदित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दिलवाना।
2. फाड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण :-

3. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
4. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
5. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
6. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में :-

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थलं का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले इस०आर० केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डॉकैती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एकट के केसों को छोड़कर शेष समस्त इस०आर० केस की कमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
- य-क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- र-फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।
- ल-क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

2.5.1.5 अभियोजन

न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट सोहरिंर की मासिक बैठक तथा सेशन द्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार

2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी –

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08. 01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं० 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

2.5.2.2 वार्षिक मन्त्रव्य-

शासनादेश संख्या: 1460/छ:-पु-1-99-51/99 के अनुसार वार्षिक मन्त्रव्य का अंकन करना।

2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी-

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विलद्ध जांच करायी जा सकती हैं परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली छुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्यः-

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व चर्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा-निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन कियां जाता है।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 अनुसंधान/विवेचना

क्र० सं०	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र०सू०रि० का पंजीकरण	154 द०प्र०स० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को नि:-शुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2	साक्षियों का परीक्षण	161 द०प्र०स० के अनुसार	यथाशीघ्र
3	अन्येषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द०प्र०स० के अनुसार	यथाशीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना रूथल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5	साक्ष्य का संकलन	द०प्र०स० के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6	नक्शा नजरी तैयार करना	द०प्र०स० के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की	द०प्र०स० के अनुसार	

8	संखीकृति का लिखा जाना	"	"
9	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"
10	तलाशी	"	"
11	निरुद्धि	"	"
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"

3.2 नियन्त्रण कक्ष:-

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्यों की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस रिथ्टि से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है।

जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

क्र० सं०	नियन्त्रण कक्ष	टेलीफोन / सो० न०	कार्य
1	जिला नियन्त्रण कक्ष	05744-247489	जनपद के सम्बन्ध में सूचनाओं को प्राप्त करता नुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
2	फायर नियन्त्रण कक्ष	101	फायर नियन्त्रण कक्ष में फायर सर्विस की गाड़िया उपलब्ध रहती है। पूरी एक टीम प्रत्येक समय टर्नआउट की रिथ्टि में रहती है जो किसी भी आग लगने की सूचना पर 5 मिनट के अन्दर पर अपने गनतब्य को रवाना होती है।
3	दुर्घटना नियन्त्रण कक्ष	100 / 9454417386	यातायात नियन्त्रण कक्ष पर प्राप्त कोई भी सूचना पर सम्बन्धित थाने/चौकी की पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचने हेतु सूचित किया जाता है। जनपद को प्राप्त एक एम्बुलेन्स जोकि जिला अस्पताल पर मौजूद रहती है को तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटनाओं के मौके पर रवाना किया जाता है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लॉग बुक में लॉक किया जाता है तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० कलर्क द्वारा	तत्काल

2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० कलर्क द्वारा	अविलंब
3	प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० कलर्क द्वारा	अविलंब
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस में
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० कलर्क द्वारा	01 वर्ष तक

3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

कां० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा	1 दिवस
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस
3	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	2 दिवस
5	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा	अविलम्ब
6	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक / बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
7	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	8 दिवस में

8	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
9	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच सही पाये जाने पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट को दखिल दफतर किया जाना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
10	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० बलक द्वारा	02 वर्ष तक

पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की सम्यावधि
1	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी वा थानाध्यक्ष को जॉच हेतु आदेशित करना।	पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस
2	प्रार्थना पत्रों को डाक वही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जॉच हेतु प्रेषित करना।	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जॉच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस
5	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० बलक द्वारा आर्डर बुक करना।	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० बलक द्वारा	अविलम्ब
6	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेषित करना।	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस
10	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां० बलक द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 थाना समाधान दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1742 पी/छः-पु-3/2014 -42पी/2005 दिनांक-16.06.2014 गृह (पुलिस) अनुभाग-3 के अनुसार थाना समाधान दिवस में प्राप्त जनसनस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राधिकृति है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीडित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड, नेद की नीति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय। इसके लिए थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है, क्योंकि अधिकांश समस्याये भानि विवाद, सरकश व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न एवं हिंसा तथा जवरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

- धाना स्तर पर उन्नय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकारों सम्बद्धों का नौके पर ही त्वरित निदान सम्बन्ध हो सकता है।
 - धाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति जनवेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के उन में धाना जाने के प्रति नय की नावना विद्यनान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक धाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर धानाध्यक्ष व पुलिस के विस्तृत भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज जाकर हैं, इससे लोगों का धाने पर जाने में ज़ंकोच हटेगा तथा उनमें धाना जाने के प्रति व्याप्त नय की नावना भी समाप्त होगी और धाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से सम्बद्धों को निपटाने का प्रयत्न अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।
 - इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-
- (क) प्रत्येक शान्तिकाल की धाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिसकर्मी धाने पर उपस्थित रहेंगे।
- (ख) धाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेहरूत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय जो प्रत्येक त्रैमास बदला जाया करेगा।
- (ग) धाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उन्नयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्ड्राज जी०डी० में किया जायेगा, ताकि नवीन य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्ड्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।
- (घ) जिन मामलों में नौका मुवायना की आवश्यकता हो, उनमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर नौके पर जेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में धानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला नियमित तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें नौके पर जायेंगी और मौका निरीक्षण कर उन्नयपक्ष की आपसी सहमति से समस्या का निराकरण करेंगे।
- (ङ) धाना पंचायत दिवस ने प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।
- (च) धाना पंचायत दिवस का पूरा लान जनसामान्य को मिल सके, इसके लिये सभी सम्बन्ध उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।
- (छ) इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।
- 3.3.5 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

क्र. सं.	प्रतिष्ठान	पत्र / आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
1	पेट्रोल/ डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्निशमन अधिकारी	15 दिवस
2	पेटी/ डीलर (फुटकर डीजल / पेट्रोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्निशमन अधिकारी	उपरोक्त
3	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी/ मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/ लाज/	जिलाधिकारी/ पर्यटन	उपरोक्त	उपरोक्त

7	व्यवसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण / आवास विकास निगम	उपरी का	उच्चतम्
8	फैकट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरी का	उच्चतम्

3.3.6 जनपद कासगंज में यातायात नियम-

3.3.6 कासगंज नगर में वाहनों के प्रवेश व संचालन के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक का आदेश

(अ) भारी व्यवसायिक वाहन ओवरलोडिंग पर अंकुष लगाने हेतु चैकिंग और ओवर लोडिंग होने पर वैद्यानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये हैं।

(ब) यात्री वाहनों की सुरक्षा हेतु नगर क्षेत्र में आवधक स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली लगाई जाती है।

परिवहन निगम की बसों के सम्बन्ध में-

परिवहन निगम की बसों द्वारा अनाधिकृत रूप से मार्ग पर सवारी उतारने व ढाने पर यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया है ताकि मार्ग अवलम्बन होने पाये और यात्रियों को जेबकराएं ले बचाने हेतु पुलिस कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

महानगरिय बसों के सम्बन्ध में-

जनपद/नगर क्षेत्र में सिटी बसों का संचालन नहीं है।

टैक्सी के सम्बन्ध में-

टैक्सियों को निर्धारित स्थान पर पार्क करने हेतु तथा निष्प्रति स्थान से आवासन व संचालन हेतु निर्देश दिये हैं।

टैम्पो/टैक्सी स्टैण्ड के सम्बन्ध में-

टैम्पो/टैक्सी ओवरलोडिंग पर अंकुष हेतु यातायात पुलिस को कड़े निर्देश तथा नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में टैम्पो/ऑटो प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(स) अन्य एकल मार्ग-

3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना-

क्रमांक	अपराध का विवरण	घारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1	बिना हेलमेट वाहन चलाना	129/177	500 रु
2	दोपहिया वाहन पर तीन सवारी	128/177	300 रु
3	यातायात नियमों का उल्लंघन करना	119/177	300 रु
4	अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देना	6(2)/177	500 रु
5	दोष पूर्ण नम्बर प्लेट, बिना नम्बर प्लेट	51,50/177	300 रु
6	शराब पीकर वाहन चलाना	185	2000 रु
7	ओवरलोड/ओवरहाइट/डाला खोल कर माल लादना	113/194	5000 रु
8	बिना लाइसेंस वाहन चलाना	3/181	2500 रु
9	प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश करना	115/194	5000 रु

10	अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना	3 / 180	2500 रु
11	मँग किये जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहना	130(1)	500 रु
12	चालक द्वारा विनिर्दिष्ट यातायात संकेतों का उल्लंघन करना	121 / 177	300 रु
13	गति सीमाओं का उल्लंघन कर वाहन चलाना (ओवर स्पीड)	112 / 183(1)	2000—हल्के वाहन 4000—मध्यम/भारी वाहन
14	मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति का वाहन चलाना	186	200 रु
15	ध्वनि प्रदूषण, वायू प्रदूषण, प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, प्रेषर हार्न, कर्कष हार्न, प्रदूषण प्रमाण पत्र का न होना, सनफिल्म (काली फिल्म)	190(2)	2500 रु
16	12 माह से अधिक समय तक अन्य राज्य के रजिस्ट्रीकरण का उपयोग करना।	47 / 177	300 रु
	गाड़ी चलाते समय वॉकमैन/मोबाइल का प्रयोग करना	21,25 / 177	500 रु
17	नो पार्किंग	126 / 177,122	500 रु
18	विधि के निर्देशों का अनुसरण न करना	179(1)	1000 रु
19	असत्य सूचना देना	179(2)	1000 रु
20	अपंजीकृत वाहन चलाना	39 / 192	5000 रु
21	बिना बीमा के वाहन चलाना	146 / 196	2000 रु
22	बिना सीट बैल्ट के चार पहिया वाहन चलाना	138(3)	500 रु
23	हस्ताक्षर करने से मना करना	132 / 177	100 रु
24	परमिट शर्तों का उल्लंघन	66 / 192(1)	2000 रु
25	बिना फिटनेस वाहन चलाना	56 / 192	2000 रु
26	बिना परमिट वाहन चलाना	66 / 192	2000 रु
27	वाहन के पेपर प्रस्तुत करने पर (प्रति पेपर जुर्माना)	158	100 रु प्रति पेपर
28	बिना प्रपत्रों के वाहन चलाना	130	पेपर के अनुसार

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चैक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के मुख्य आरक्षी एवं उसके ऊपर स्तर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर भौके पर ही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रतिष्ठियाँ की जाती हैं, जो तीन विभिन्न रंगों की होती हैं। लाल रंग की प्रति को मात्र न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेजे जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है, जिनका रामायोजन केवल सम्बन्धित न्यायाधिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7. रथानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.7.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के सम्बन्ध में

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में अलग-अलग कर्तव्य हैं।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में

पाकिस्तान व बंगलादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं विदेशी नागरिकों के मामले में पुलिस अधीक्षक विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदेशी नागरिक 02 प्रकार के वीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन के कम के वीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के वीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता हैं

(1) 180 दिन से कम का वीजा लेकर जनपद में आये विदेशियां का पंजीकरण नींहों होता है

(2) 180 दिन से अधिक के वीजा अवधि पर आये विदेशियां का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना ग्रह मन्त्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक (एफ0)विंशा० अभिं० विं० उ०प्र० को प्रेषित की जाती हैं।

विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ. में निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी/बंगलादेशी नागरिकों के सम्बन्ध में :-

पाक/बंगलादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अर्थारिटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद आये हुये पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनकी निगरानी कराते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल आर्थारिटी/पुलिस अधीक्षक की होती है।

पाक/बंगलादेशी नागरिकों की वीजां वृद्धि करने के सम्बन्ध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त हैं। सिविल अर्थारिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल०टी०वी० पर रहे पाक नागरिकों एक्सटेंसन शासन रत्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एल०टी०वी० पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों के वीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगाई गई है।

पाक/विदेशी मामलों से सम्बन्धित कार्यवाही एल०आई०य० कार्यालय में स्थिति पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उ०नि० की नियुक्ति होती है।

3.3.7.2 पासपोर्ट

(अ) कार्यवाही का चरण-पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपने आवेदन पुत्रों को निम्न स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

7. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय बरेली

जमा आवेदक पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात् संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ०नि० व ह०का०प्र०) द्वारा, प्राप्त आवेदन पत्रों की एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तताके विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊप्रेषित किया जाता है। अभिभ० मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल०आई०य०० से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी०ओ०) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली को प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदन प्राप्त कराये जाने हैं।

(६) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :— आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात् निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

(७) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

(८) जनपद पुलिस/एल०आई०य००/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है।

(९) जांच आख्या नोडल अधिकारी(जी०ओ०) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।

(१०) कार्यवाही की अवधि:—

जनपद से प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जांच रिपोर्ट 21 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय के लिए प्रेषित किये जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

शासनादेश संख्या— 682 PGS/छ पु०-२-१४-७००(१)/२००१ दिनांक ०९.०५.२०१४ के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें पुलिस अधीक्षक/निरीक्षक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना इकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्निखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानक

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर	व्ययभार का प्रतिशत
सांसद/विधायक	(क) एक सुरक्षा कर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी साथे वस्त्रों में	(क) नि:शुल्क (ख) नि:शुल्क
निर्वत्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष/जिलापंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख/कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रतिशत पर

अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर जग्न्य अपराध हाने पर पैरवी करने वाला / गवाह	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मीका सामान्य व्यवस्था	10 प्रतिशत पर समिति के निर्णय के अनुसार
--	---	---

शासनसदेश स0-2301/छ-पु0-2-2004-700(1)-2001 दिनांक 18.06.2004 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षो को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय द्वारा उसके जीवन मय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 03 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मा० सांसद/विधायक/मा० मंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मा० न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्व संरक्षित महानुभावो को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर की समीक्षा जिलाधिकरी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर रु० 16130/-1613/-प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ०प्र० इलाहाबाद के निर्देशानुसार पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा मे जमा करायी जीती है।

3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

क० स०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थनापत्र की प्राप्ति	पुलिस अधीक्षक कासगंज	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि मे किसी भी समय
2	संबंधित थाने को अपरीधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	15 दिवस मे
3	डीसीआरबी द्वारा जनपद मे किये गये अपराध के संबंध मे जॉच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	03 दिवस मे
4	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच किया जाना	संबंधित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस मे
5	पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा जॉच किया जाना	पुलिस अधीक्षक कासगंज	06 दिवस मे
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेंस प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंरक्षित सहित भेजा जाना	पुलिस अधीक्षक कार्यालय	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.10 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.10.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन

क्र० सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 50 रु० शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	3 दिवस
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	06 दिवस में
5	एल०आई०य०० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एल०आई०य०० द्वारा	06 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3.3.10.2. पुलिस वेरीफिकेशन

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
5	एल०आई०य०० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एल०आई०य०० द्वारा	03 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.3. सर्विस वेरीफिकेशन

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
5	एल०आई०य०० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एल०आई०य०० द्वारा	03 दिवस में
6	निमित जनजागरण संबंधित	निमित जनजागरण	अविलम्ब

3.3.10.4.

गिलेट्री सर्विस वेरीफिकेशन

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	गिलेट्री विभाग में चयनित रैन्य कर्मियों के सत्यापन रैन्य कर्मी के नियुक्ति रथल से कर्मी के मूल निवास रथल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	तत्काल
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
5	एल0आई0य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एल0आई0य० द्वारा	03 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.5.

ठेकेदारी वेरीफिकेशन

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मयं शपथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित ५० रु० शुल्क के रूप में लिया जाना	जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सीधे बैंक में	अविलम्ब
4	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	07 दिवस में
6	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति करना	संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा	07 दिवस में
7	एल0आई0य० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एल0आई0य० द्वारा	07 दिवस में
8	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1. जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र0सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवृष्टक कार्यवाही	07 दिवस

3	पुलिस अधीक्षक को उड़क से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
4	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच	उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 616भा/छ: वीजा अनुभाग -4 -2005 - 17/2/64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

16. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
17. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
18. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
19. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहाँ तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास, यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो, तो कम से कम बल प्रयोग करना।
20. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
21. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
22. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
23. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
24. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
25. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
26. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
27. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
28. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
 7 आमर्स एकट 1959
 8 सिविल अधिकार संरक्षण अधि०1955
 9 अनु०जाति व अनु०जनजाति० अधिनियम 1989
 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949
 11 आवश्यक वस्तु अधि० 1955(उ०प्र०संशोधन अधि०1978)
 12 चोर बाजारी नि० और आवश्यक वस्तु प्रदय अधि० 1980
 13 खाद्य अपमिश्रण नि० अधि० 1954
 14 उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986
 15 पशु अतिचार अधि० 1861
 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
 17 बन्दी अधिनियम 1900
 18 सर्वजनिक जुआ अधिनियम 1867
 19 किशोर न्याय अधिनियम 1986
 20 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
 21 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
 22 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
 23 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम
 1988
 24 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
 26 विस्फोटक अधिनियम 1884
 27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
 28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
 29 अपराधी परिकीक्षा अधिनियम 1958
 30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
 31 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशोध अधिनियम 1986
 32 भारतीय वन अधिनियम 1927
 33 वन संरक्षण अधिनियम 1980
 34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
 35 बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
 36 विष अधिनियम 1919
 37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
 38 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994
 39 रेल अधिनियम 1989
 40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
 41 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
 42 पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
 43 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
 44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
 45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
 46 व्याज अधिनियम 1978
 47 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
 48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
 49 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
 50 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
 51 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
 52 उत्तर प्रदेश पार्टेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948

- 54 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
 55 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
 56 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
 57 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
 58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
 59 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली 1964
 60 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
 61 उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
 62 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994
 63 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
 64 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
 65 वित्तीय हस्त पुस्तिका
 66 समय—समय पर निर्गत शासनादेश
 67 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती हैं।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफतारी पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूप में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नष्ट होगी
4	भगोड़ा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5	रोकड़ बही	घनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूप में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की	सभी थाने पर	तीन साल

8	356 द०प्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	"	जब सभी केंद्रियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द०प्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्ति किये गये केंद्री रिकार्ड रजिस्टर	"	"	"
10	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	"	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
12	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदारके ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर नं० ८)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी थानों / पुलिस लाइन में होने के बाद	एक साल पूर्ण
15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों / विवेचकों के पास	पांच साल
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर	एक साल
17	अगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है।	सभी थाने पर	स्थानी रूप में
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	"	तीन साल
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैरगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पांच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21	जांचोपरान्त 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	"	तीन साल

22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र मे मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र	"	"
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	"	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानो पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानो पर व शाखाओं मे	पांच साल
26	माल मसरूका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानो पर	पांच साल
27	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तो को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानो पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटो के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटो के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाने पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	"	दो वर्ष
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	"	"
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	"	स्थाई
32	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
36	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश	"	"
37	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यू तक
38	सकिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सकिय अपराधों की सूची	"	निगरानी उचित समझे जाने तक
39	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	"	5 वर्षों तक
40	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	"	5 वर्षों तक
41	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	"	5 वर्षों तक
42	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	"	स्थायी

43	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	..	स्थायी
44	गिरप्तारी रजिस्टर	गिरप्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	..	5 वर्षों तक
45	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों का विवरण	..	5 वर्षों तक
46	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों के कार्यवाही का विवरण	..	5 वर्षों तक
47	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	2 वर्षों तक
48	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
49	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	..	स्थायी
50	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
2	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
3	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समर्पित परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक
6	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	01 वर्ष तक
7	विषेश अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थायी
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक

5.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्रो सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई / शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	01 वर्ष तक
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
6	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्रो सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई / शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
2	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05 वर्ष तक
5	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05 वर्ष तक

7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	01 वर्ष तक
8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
9	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त इंकों के कर्मचारियों। के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10	कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर मारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्य व वितरण	पुलिस लाइन	स्थायी
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

7. जनता की परामर्श दात्री समितियाँ

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अस्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठियों की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय-समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निगरानी हेतु	त्रैमासिक

6.	शान्ति समिति	क्षेत्र के सम्बन्धी नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु।	आवश्यकतानुसार
7.	मेला समिति	मेले से सम्बन्धित सम्बन्धी व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु।	मेले के आयोजन से पूर्व
8.	सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निरतारण व सुझाव/परामर्श के लिये	मासिक

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं हैं।

बिन्दु सं0-09 अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री-

नाम पुलिस अधिकारीगण	पदनाम	आवास नं0	कार्यालय नं0	सी0यू0जी0 नं0
श्री श्री मनोज कुमार सोनकर	पुलिस अधीक्षक कासगंज	05744-272100	05744-272080	9454400393
श्री आदित्य प्रकाश वर्मा	अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज	-	05744-272080	9454401042
श्री राम कृष्ण तिवारी	क्षेत्राधिकारी कासगंज	-	05744-244678	9454401248
श्री गवेन्द्र पाल गौतम	क्षेत्राधिकारी पटियाली	05740-256010	05744-255110	9454401251
श्री शैलेन्द्र सिंह परिहार	क्षेत्राधिकारी सहावर	-	05744-277300	9454401889
श्री हकीमुद्दीन	प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन कासगंज	-	05744-273485	9454404725
श्री आनंद कुमार रजनीश	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	-	05744-244681	9454418494
श्री विकम सिंह	निरी0 अभिसूचना	-	-	9454404729
श्री रमेश चन्द्र	निरी0 रेडियो	-	05744-247489	8588842310
श्री राजीव सिरोही	प्र०नि0 कासगंज	-	05744-244678	9454403244
श्री राजकुमार सिंह	प्र०नि0 सोरों	-	05744-273337	9454403261
श्री डी०के० मिश्रा	प्र०नि0 ढोलना	-	05744-272820	9454403238
श्री राजेश कुमार मीणा	प्र०नि0 सहावर	-	05744-277530	9454403257
श्री गंगा प्रसाद सिंह	प्र०नि0 अमॉपुर	-	05744-279233	9454403235
श्री सुभाष चन्द्र यादव	प्र०नि0 सुन्नगढ़ी	-	05744-296210	9454403245
श्री वीरेन्द्र सिंह इन्डौलिया	प्र०नि0 पटियाली	-	05744-252033	9454403253
श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम	प्र०नि0 गंज0	-	05744-255110	9454403239
श्री सत्येन्द्र पाल सिंह	थानाध्यक्ष सिड्हपुरा	-	05744-254233	9454403260
श्री दशरथ सिंह	प्र०नि0 सिवैश्य	-	05744-296210	9454403243
श्रीमती नीतू यादव	थानाध्यक्ष महिला थाना	-	05744-247551	9454404785

10.1 पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम संख्या	पद	वेतन बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	भर्ती धुलाई भत्ता
1	पुलिस अधीक्षक	37400—67000	0	450
2	अपर पुलिस अधीक्षक	15600—39100	800	300
3	पुलिस उपाधीक्षक	15600—39100	800	300
4	निरीक्षक	9300—34800	1200	188
5	उप निरीक्षक	9300—34800	1200	188
6	मुख्य आरक्षी	5200—20200	1500	188
7	आरक्षी	5200—20200	1500	188
8	अनुचर	5200—20200	1350	156

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम संख्या	पद	वेतन बैण्ड (ग्रेड पे)	पौष्टिक आहार भत्ता	भर्ती धुलाई भत्ता
1	रेडियो निरीक्षक	9300—34800	1200	188
2	रेडियो/अनुरक्षण अधिकारी/रेडियो केंद्र अधिकारी	9300—34800	1200	188
3	हेड आपरेटर	5200—20200	1500	188
4	सहायक परिचालक	5200—20200	1500	188
5	अनुचर/सन्देश वाहक	4440—7440	1350	156

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम संख्या	पद	वेतन बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	भर्ती धुलाई भत्ता
1	अग्नि शमन अधिकारी	9300—34800	1200	188
2	द्वितीय अग्नि शमन अधिकारी	9300—34800	1200	188
3	लीडिंग फायरमैन/फायरसर्विस चालक	5200—20200	1500	188
4	फायरमैन	5200—20200	1500	188
5	अनुचर	5200—20200	1350	156

10.4 लिपिक संवर्गीयस के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्रम संख्या	पद	वेतन बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	भर्ती धुलाई भत्ता
1	उ०नि०(एम)	9300—34800	1200	188
2	सहाय० उ०नि०(एम)	5200—20200	1200	188
3	कान्स० (एम)	5200—20200	0	0
4	उर्दू अनुवादक (कनिष्ठ लिपिक)	5200—20200	0	0

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त गासिक वेतन

क्रम संख्या	पद	वेतन बैण्ड	पौष्टिक आहार भत्ता	भर्ती धुलाई भत्ता
1	उ०नि० परिवहन	9300—34800	1200	188

बजट की अध्यावधिक रिथि

वित्तीय वर्ष—2019—2020 जनपद—कासगंज

मानक मद (वेतनीय गद्दी)	वित्तीय वर्ष 2019—20 में प्राप्त अनुदान	व्यय अनुदान	शेष अनुदान	वारस्विक लिखित देशको की प्रत्यापिता
1	2	3	4	5
2055—पुलिस आयो 109—जिला पुलिस 03—जिला पुलिस (मुख्य)				
01—वेतन	613595000	700344631	-86749631	
03—महंगाई वेतन	198919000	108702920	90216080	
06—अन्य भत्ता	32408000	32525236	-117236	
55—मकान किराया भत्ता	8465500	11824241	-3358741	
56—नगर प्रतिकर भत्ता	1857000	1846898	10102	
योग रु०	855244500	855243926	574	
02—मजदूरी				
04—यात्रा व्यय		1780000	1779999	1
05—स्थान यात्रा भत्ता	11289000	11251209	37791	
08—अन्य छुद आकस्मिक व्यय(कार्यालय व्यय)	1371000	1452953	-81953	
08—कार्यालय व्यय (श्वान हेतु)	244000	940896	-696896	
09—विधुत देय	77350	77314	36	
10—जलकर / जलप्रभार	667000	1267382	-600382	
11—लेखन सामग्री का क्य एवं फार्मा	263000	57600	205400	
12—कार्यालय फर्नीचर / उपकरण	190364	1094666	-904302	
13—टेलीफोन व्यय	70000	69789	211	
15—पेट्रोल डीजल क्य	12200	12200	0	
08—कार्यालय व्यय (सेनेबइजर, मारक, पेपर / लिखित सोप आदि का क्य	8349000	8348856	144	
	373000	372817	183	

16—च्यवसायिक तथा विशेष सेवा के लिए अनुदान(होमगार्ड के मानदेय)	47819600	47814767	4833
17—किशाया उपशुल्क एवं कर स्थामित्व	395000	0	395000
18—प्रकाशन	0	0	0
19—विज्ञापन, विकी और विद्युत्पान पर व्यय	45000	40333	4667
20—पी०बी०एफ० अंशदान	33000	33000	0
23—गुप्त सेवा व्यय(2055—109—03)	23200	23200	0
51—बद्दी पर व्यय (11—लेखन सामग्री के व्यय, हेतु गृणिं के अन्तर्गत	565000	0	565000
42—अन्य व्यय (08—कार्यालय व्यय के व्यय हेतु गृणिं के अन्तर्गत	698000	0	698000
25—लघु निर्माण कार्य छुद्र मूल निर्माण	1262354	1189437	72917
26—मशीनें एवं साज सज्जा / उपकरण और संयन्त्र (हेलमेट का क्य)	100000	99680	320
29—अनुरक्षण	1250000	1248100	1900
29—विशेष मरम्मत		0	0
29—सामान्य मरम्मत		0	0
42—पारितोषिक (अन्य व्यय)	461000	123000	338000
42—एस०ए०एफ०(सुख सुविधा निधि) 03	111000	110757	243
42—कल्याण निधि 07(पुलिस कल्याण की योजनाओं पर.व्यय)		0	0
42—कल्याण निधि 09(पुलिस कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान)	139000	138801	199
42—खेलकूद पर व्यय 05(खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं दृग्मित्या आदि के सामन्य में व्यय		0	0
45—अवकाश यात्रा व्यय	151000	102226	48774
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्य		0	0
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण	207605	207332	273
26—मशीनें एवं साज सज्जा / उपकरण और संयन्त्र	0	0	0
44—प्रशिक्षण यात्रा भत्ता	29667	29659	8
49—विकित्सा व्यय	2683600	2681733	1867
42—अन्य व्यय -(शांति व्यवस्था हेतु) अधिग्रहित वाहनों का		0	0

58—आउट सोर्सिंग		56000	55076	924
2055—पुलिस आयोजनेत्तर 110—ग्राम पुलिस 03—ग्राम पुलिस अधिकारी	18900000	15530076	3369924	
01—वेतन चौकीदार	371700	371426	274	
08—कार्यालय व्यय				
2055—पुलिस—800—अन्य व्यय—01—केन्द्र प्रायोजित योजनाएं—02—रद्दुइन्ट पुलिस कैडट	390000	390000	0	
42— अन्य व्यय				
2235—समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण 60—अन्य समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम 800—अन्य 04—लावारिस शाब्दों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था				
लावारिस शब्दों का अन्तिम संस्कार	2700	0	2700	
02—मजदूरी	277400	235800	41600	
08—कार्यालय व्यय	915000	657717	257283	
11—लेखन सामग्री / छपाई व्यय	822000	1079242	-257242	
12—कार्यालय फर्निचर/उपकरण	146000	145813	187	
13—टेलीफोन व्यय				
15—पेट्रोल डीजल क्षय	1813000	1812888	112	
15—गाड़ियों का अनुरक्षण			0	
42—अन्य व्यय	676000	674951	1049	
23—गुप्त सेवा व्यय	40900	40900	0	
29—अनुरक्षण	537240	537240	0	
2055—पुलिस आयोजनेत्तर—00—800 अन्य व्यय—15—उत्तर प्रदेश सरकार सं व्यय(42—अन्य व्यय)				
42— अन्य व्यय (उपकरणों की मरम्मत हेतु)	40000	40000	0	
42— अन्य व्यय (डाटा कार्ड)	46800	0	46800	
42—अन्य व्यय (केन्द्र के ईधन व अन्य व्यय हेतु)	192000	163645	28355	
के माध्यम से)	25000	24934	66	

प्रधार प्रसार हेतु)	40000	39973	27
42— अन्य व्यय (ई चालान व्यवस्था के संचालन हेतु)	444475	456986	-12511
42—अन्य व्यय (यातायात कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु)	40000	36530	3470
योग	828275	762068	66207
4055—पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय—207—राज्य पुलिस—21—उ0प्र0 सडक सुरक्षा कोष से व्यय—26—मशीने और सज्जा / उपकरण और संय			
26—मशीन साज सज्जा (बाड़ी वान कैमरा)	270000	0	270000
26—मशीन साज सज्जा (ब्रीथ एनालाइजर विद प्रिन्टर)	800000	0	800000
26—मशीन साज सज्जा (कार डेसर्वोर्ड कैमरा)	24000	0	24000
26—मशीन साज सज्जा (स्मार्ट फोन टैबलेट)	390000	0	390000
26—मशीन साज सज्जा (स्पीड रडार गन,लोजर स्पीड गन)	200000	0	200000
26—मशीन साज सज्जा (थर्मल प्रिन्टर)	312000	0	312000
26—मशीन साज सज्जा (स्पिंग पोस्ट)	120000	119796	204
योग	2116000	119796	1996204
2055—पुलिस आयोजनेतर 109—जिला पुलिस 13—जायल 100—परियोजना			
15—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण / पेट्रोल आदि की खरीद	1300200	1300146	54
08—कार्यालय व्यय	831640	731940	99700
19—विज्ञापन बिकी और विरेखापन पर व्यय	111800	111217	583
16— व्यवसायिक सेवाएं व होनगार्ड के मानदेय व ग्रोस्तहन भत्ता हेतु	16515684	16436024	79660
44—प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	946700	946611	89
योग		0	0
2055—पुलिस आयोजनेतर 109—जिला पुलिस 03—जिला पुलिस मुख्य			
52—पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	45021000	45011855	9145
योग			

	2055-पुलिस आयोजनेतर 109-जिला पुलिस 07-जिला पुलिस थाना(सीसीटीएनएस)
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सफ्टवेयर	836000 835934 66
47-कम्प्यूटर अनुसंधान	2021000 1418404 602596
	47-कम्प्यूटर अनुसंधान
2055-पुलिस आयोजनेतर 800-अन्य व्यय 05-लोक सभा सामाजिक निवाचनिकल / रोडियो/फायरबिस सम्मिलित है।	
04 यात्रा व्यय	8727586 8727442 144
08-कार्यालय व्यय	188600 298979 110379
11-लेखन सामग्री	65300 147627 -82327
13-टेलीफोन	51300 51094 206
15-पेट्रोल / डीजल,अनुरक्षण	3197000 3196968 32
42-अन्य व्यय(हल्का नाशता)	2023000 2023000 0
42-अन्य व्यय (परिश्रमिक भत्ता)	2943000 1442250 1500750
42-अन्य व्यय(अस्थाई शौचालय/स्नानगार/किचन आदि के मुगाड़)	993000 985037 7963
42-अन्य व्यय (अधिग्रहीत वाहनों का किशया)	1534000 1510383 23617
42-अन्य व्यय (टैंपट/तम्बू/कनात/अन्य सामग्री हेतु)	1204500 1203288 1212

बिन्दु सं0-13—संगठन द्वारा प्रदत्त छूट अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का संगत विवरण—शून्य
 बिन्दु सं0-14—इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता—शून्य
 बिन्दु सं0-15—अधिनियम के अन्तर्गत नागिरिकों प्रदत्त सुविधाये।

क्र०स०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय नहीं थैंगते तो सम्बन्धित थाना प्रभारी कार्यालय	प्रातः 10-00 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाश छोड़कर)
2.	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3.	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्ता तथा व्यक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में 48 घन्टे
4.	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा किये जाने वाली धनराशि (10 रु प्रति घन्टा प्रथम घन्टा के पश्चात 5 रु प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नकद लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक	उपरोक्त
5.	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराये जाने वाली राशि का विवरण (10 रु प्रति आवेदन पत्र और गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निशुल्क व अतिरिक्त शुल्क फोटो प्रति 2 रु प्रति व बड़े साइज की 5 रु प्रति)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जान की स्थिति में 250 रु प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना (रु-25000-00 अनाधिक) भी देय होगा।

बिन्दु सं0-16—लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

जनपद कासगंज पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गई हैं।

क्र०स०	जनपद के जनसूचना अधिकारी का नाम व पद	जनपद के सहायक जनसूचना अधिकारियों के नाम व पद	अपीलीय अधिकारी का नाम व पद
1.	श्री आदित्य प्रकाश वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज	श्री राम कृष्ण तिवारी क्षेत्राधिकारी कासगंज श्री शैलेन्द्र सिंह परिहार क्षेत्राधिकारी सहायर श्री गवेन्द्र पाल गौतम क्षेत्राधिकारी पटियाली	(श्री मनोज कुमार सोनकर) पुलिस अधीक्षक कासगंज

टिप्पणी—सी0यूजी0 मोवाइल राजपत्रित अधिकारियों के नाम आवंटित हैं, जो कि अधिकारी के स्थानान्तरण के साथ परिवर्तित नहीं होगे।

बिन्दु सं0-अन्य कोई विहित सूचना—शून्य

Qay
पुलिस अधीक्षक
कासगंज।